

जल प्रबंधन - एक समस्या एवं समाधान

प्रा.कु.मंगला माधवराव कनाटे, भुगोल विभाग प्रमुख, स्व. पंचफुलाबाई पावडे कला, वाणिज्य महिला महाविद्यालय, वरूड.

जल विश्व की सबसे अधिक उपयोगी, बहुमूल्य तथा सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध वस्तु है। इस पृथ्वी का तीन चौथाई भाग जल से आप्ल वित है। जल हमें भूमि के नीचे समुद्रों, महासागरों, नदी नाली व झीलों की रूप में उपलब्ध है। जल मात्रा भूमि पर ही नहीं, अपितु वायु मंडल में जलवाष्प, धुंध, ओस, कोहरा तथा बादलों के रूप में भी विचरण करता है। भूमिगत स्रोतों से जल कुँओ, बावडियो, आदि से तथा भूमि के नीचे से ट्युबवैल आदि से बाहर निकला जाता है।

संपूर्ण भूमण्डल में 1 अरब, 46 करोड़ घन किलामिटर, जल उपलब्ध है। इसमें से 93 प्रतिशत जलमहासागरों एवं सागरों 41 प्रतिशत भू - गर्भ में 2 प्रतिशत जल ध्रुवों तथा ग्लेशियर्स पर जमी बर्फ के रूप में तथा 0.05 प्रतिशत जल झीलों एवं नदियों में शुद्ध जल संसाधनों के रूप में उपलब्ध होता है। विश्व में पीने योग्य जल की कुल मात्रा 37500 घन किलोमिटर है।

जल जीवन का मुख्य आधार है। साथ ही साथ सभी जीव जंतुओं, पदों व मानवों के। जीवनयापन हेतु यह एक परम आवश्यकता है। तथा इस परम आवश्यकता को प्रकृति ने पृथ्वी पे तीन चौथाई भाग के रूप में बहुतायत से उपलब्ध करवाया है। किन्तु ऐसा होने पर भी जल के लिए अर्थात् पानी के लिए समय समय पर त्राहि त्राहि मच जाती है। तथा जलवर्ष और विश्व जल दिवस मनाये जाते हैं। कहा जाता है की यदि भविष्य में कोई विश्व युद्ध होगा तो वह जल को लेकर होगा।

हमारे देश में ग्रामिण पेयजल के क्षेत्र में चुनौतियों का अंवार लगा है। विश्वभर में एक अरब से भी अधिक लोगों को सुरक्षित और भरसेमंद जलस्रोत नसीब नहीं है। जीवन के सभी रूपों की बुनियादी जरूरतों में पानी सबसे महत्वपूर्ण है और यह देश के समाजिक आर्थिक विकास की कुंजी है। अनुमान है की वर्तमान में विश्व 1 अरब 10 करोड़ आबादी को पीने के पानी ठीक से मयरसर नहीं है। वर्ष 2050 तक के आकलन से संकेत मिलता है की विश्व की दो तिहाई आबादी का पीने के पानी दिक्रत रहेगी। कुछ को कम हो सकती है तो कुछ ज्यादा पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना और दिर्घकालीन आधार पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना भारत की प्रमुख चुनौतियों में सबसे अहम है। औद्योगिक गतिविधियों के कारण जलप्रदुषण की बढ़ती समस्या, जनसंख्या में वृद्धि और कृषी क्षेत्र के लिए पानी की बढ़ती मांग ने एसी स्थिती उत्पन्न कर दि है की ग्रामिण क्षेत्रों के कुछ भागों में सुरक्षित पेयजल पहचाना एक समस्या बन गई है।

स्रोतों का न्यायोचित प्रबंध : जलस्रोतों के न्यायोचित विदोहन एवं समान वितरण हेतु पहली राष्ट्रीय जल नीती सन 1987 में स्वीकार की गई। इस नीती पर चलाते हुये भी जलस्रोतों के प्रबंध एवं विकास में उत्पन्न हुई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जल नीती की पुनरीक्षा एवं इसे अद्यातन किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसके लिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा गठीत कार्यकारी दल ने नई राष्ट्रीय जल नीती का मसौदा तयार किया इसे राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा अप्रैल 2002 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में स्वीकार किया गया

मानविय, सामाजिक क्षेत्रीय तथा पर्यावरणीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उपभोग योग्य संसाधनों के समन्वित विकास एवं निकासी की दिशा में नई राष्ट्रीय जल नीती 2002 एक सकारात्मक कदम है। आवश्यकता इस बात की भी है की नदियों के पानी के उपभोग के मामले में राज्यों के अपने अपने हितों को त्यागकर समग्र राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य समन्वयवादी दृष्टिकोन अपनाया जाता है भौगोलिक एवं वातावरणीय विभिन्नता ओ वाले देश भारत में जल स्रोतों का प्रबंधन अति संवेदनशिल तथा जटिलमुद्दा है। इसे प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए एक समन्वित नीती अपनाए जाने की जरूरत है। जो सर्वसहमती पर आधारीत हो

औद्योगिक विकास तथा शहरों के बढ़ते आकार ने प्राकृतिक जलस्रोतों को खतरनाक स्थिती तक प्रदुषित कर दिया है नगर निकायों ने बढ़ती आबादी के सुख सुविधा तथा आवासोय सुविधा तो उपलब्ध कराई किंतु किसी भी स्तर पर इस बात को प्रयास नहीं किया कि इन शहरों के गंदों पानी का निस्तारण कैसे हो इसके निस्तारण की सबसे सस्ती विधी के रूप में शहरों के नालों के नदियों - झिलों- तालाबों में छोड़ा गया। इन शहरी क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाईयाँ भी इस कार्य में पीछे नहीं रही उन्होंने भी अपने गंदे पानी, जिसमें खतरनाक जहरीले रसायन तक मिले होते हैं। इन्ही नालों के जरिए नदियों - झिलों - तालाबों में छोड़ा। चीन, मिल तापिय विद्युत घर, बड़े बड़े कारखानों ने नदियों के स्वच्छ पाणी को प्रयुक्त करके गंदा पानी इन्ही नदियों के हवाले किया जल अधिनियम 1974 तथा पर्यावरण अधिनियम 1985 के अस्तित्व में होने के बावजूद जलस्रोतों का प्रदुषण बढ़ रहा है गंगा कार्य योजना तथा यमुना कार्य योजना पर करोड़ों रूपयों खर्च कर दिए जाने के बावजूद इन नदियों के जल गुणवत्ता में कोई सकारात्मक

सुधार नहीं आया है. अनुपचारित गंदा पानी अभी भी इन नदियों में गिर रहा है. इससे गंभीर समस्या इनकी सहाय्यक नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण की है. जलस्रोतों के प्रबंधन की समग्र कार्यनिती पर प्रदूषण से जुड़े मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए.

वर्षाधीन क्षेत्रों में भूमि को नमी को बचाए रखने में जल संपन्नता की कारगर भूमिका होती है अभी इस कार्य की भूमिका विकास के तत्त्व के रूप में देखा जाता रहा है लेकिन अब आवश्यकता है कि इसे जलस्रोतों के समग्र विकास एवं प्रबंधन को दृष्टि से देखा जाए.

उद्दिष्टे :-

- 1) नई पाईप लाईन डालकर वैकल्पिक स्रोतों से क्षेत्रीय योजनाएँ सुधैया कराना.
- 2) पुरानी पड़ गई योजनाओं वाली वास्तवियों में नयी योजनाओं की पुरक व्यवस्था करना.
- 3) वर्षा के जल का अधिकतम संग्रहण एवं संरक्षण किया जाना इस दिशा में अच्छे परिणाम दे सकता है.
- 4) कृषि में प्रयुक्त होने वाले किटनाशक, रासायनिक उर्वरकों आदि के प्रयोग के नियंत्रित किया जाना अत्यावश्यक है.
- 5) तालाबों आदि के चारों ओर पक्के घाट बनाए जाने चाहिए.
- 6) घरेलू कार्यों में भी जल के आवश्यकता से अधिक उपयोग को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है.
- 7) जल संकट के निवारण में स्वयंसेवी संस्थाओं, संचार तथा प्रसार माध्यमों का विशेष हो योगदान होना जरूरी है.
- 8) वनों की अंधाधुंध काटाई को हर हालत में रोका जाना चाहिए जिससे भूमिगत जल का स्तर को तेजी से घटने से रोका जाना संभव हो सकेगा.

निष्कर्ष :-

जल की वास्तविकता को समझते हुए इसका उपयोग एक किमती वस्तु के रूप में किफायत के साथ किया जाना चाहिये. प्रत्येक व्यक्ति - संस्थान - उद्योगपति - नितीकार को यह समझ लेना चाहिये कि यदी जल संग्रहण को अपनाकर वर्षों के पानी के इस्तामाल को प्रमुखता प्रदान न की गई तो लगातार अतिदोहन भूमिगत जलस्रोतों अंततः सुख जाएंगे और भयंकर सुख की मार सबको - कृषक उद्योगपति, व्यापारी, उपभोक्ता सभी समान रूप से सहन करनी पड़ेगी. इसी प्रकार यदी शहर और उद्योग प्राकृतिक जलस्रोतों को आँखों पर पट्टी बाँधकर प्रदूषित करते रहे तो अंततः पीने के लिए जहरीले रसायन ही शेष बचेंगे. भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि पर निभयता को देखते हुए जलस्रोतों के न्यायोचित प्रबंधन की ऐसी निती अपनाए जाने की आवश्यकता है जो वर्षों के पानी से संग्रहण एवं उपयोग पर आधारित हो और जिससे भूमिगत जलस्रोतों को संकटकाल के लिए सुरक्षित रखा जाए ज्ञान ही नहीं जलसंग्रहण एवं पुर्नभरण के लिए यदी लोगोने वैयक्तिक स्तर पर उदासीनता दिखाई तथा स्वार्थी खैय्या अपनाया तो वह दिन दूर नहीं जब लोग पानी की एक एक बुंद के लिए तरसेंगे. यदी हमने जल संग्रहण के प्रति उदासीनता दिखाई तो देश को जलसंकट का महाप्रलय के दिन देखने पड़ सकते हैं. इसके लिए सरकारका मुँह ताकने से अच्छा है लोग खुद आगे आएँ.

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. जलसंरक्षण समय एवं समाधान :- पी एन नाटाणी, बुक एनक्लेव जयपुर भारत योजना जून 2006
2. महाराष्ट्रातील जलसंपदा - प्रा. डॉ. एस. व्ही. डमढरे, डायमंड पब्लिकेशन पुणे